न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली)

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–02 / 2019
आरसीएमएस– 2019 / 00006
तारीख निर्णय–12 / 03 / 2020

प्रार्थी :–

स्व. टिकमराम जी पुत्र वरदाजी के कायम मुकाम

1. अणसी पुत्री स्वं टिकमराम जी
2. मांगीलाल पुत्र स्व टिकमराम जी
3. दौलाराम पुत्र स्व. टिकमराम जी

जातिगण–मेघवाल, निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार, देसूरी (लैण्ड होल्डर)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136राज0भू–राजस्व अधि0 :–

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– वकील श्री सुरेश दवे, सुशील दवे।
अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :– दिनांक– 12 / 03 / 2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–ग्राम–नाडोल–2 पटवार हल्का नाडोल–2, तहसील देसूरी में सवत् 2026 से 2029 में आराजी कृषि भूमि टीकमराजी कौम–मेंघवाल सा. देय खातेदार खसरा नम्बर 2115 क्षेत्रफल 1.25 बीघा कृषि भूमि के नाम इन्द्राज है। तमाम प्रार्थीगण टीकमजी पुत्र वरदारामजी के मृत्यु के पश्चात सा.देय खातेदार है। तथा उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगणण कब्जा है।

यह है कि सेटलमेन्ट के दौरान पुराने खसरा नम्बर 2215 क्षेत्रफल 1.25 बीघा को सपरिवर्तन करके सवत 2070–2073 में नये खसरा नम्बर 5108 / 5779 रकबा 1.9500 काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत बा. [illegible] पूर्णरूप से गलत है एवं भूलवंश दर्ज किया गया। सेटलमेन्ट के दौरान तकनीकी खराबी तथा भूलवंश प्रार्थीगण हक हिस्से में आ रही कृषि भूमि 1.25 बीघा में से प्रार्थीगण का नाम बिना किसी उचित कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नजर अन्दाज कर हटा दिया गया।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सवत् 2070–2073 मे खसरा नम्बर 5108/5779 रकबा 1.9500 बा. दो काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत को सपरिवर्तन कर प्रार्थीगण के हक हिस्से में आयी पुश्तैनी आराजी कृषि भूमि 1.25 बीघा प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिशल किया गया।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 2115 क्षेत्रफल 1.95 बीघा मे से प्रार्थी को 1.25 बीघा की खातेदारी चाही गई है। गत् सेटलमेंट की कार्यवाही से पूर्व उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट होने के संबंध मे प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थत मे राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नही की है, जिससे कि उक्त भूमि का गत् सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी ग़ैर खातेदार या खातेदार टिनेन्ट हो एवं जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम खातेदारी की दर्ज होने का इन्द्राज होना साबित होता हो। एवं प्रार्थी द्वारा जो प्रमाणित प्रतियों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है, वो फोटो प्रतियां कानूनन साक्ष्य मे नही पढी जा सकती है एवं प्रार्थी द्वारा जो जमाबंदियो की प्रमाणित प्रतिलिपिया प्रस्तुत की है, उनके प्रार्थी जिस आराजी खसरा नम्बर 5108/5779 रकबा 1.9500 के संबंध मे इन्द्राज दुरूस्ती चाह रहा है वो शामिलाती खातेदारी की दर्ज है। तथा जिसके हिसाब से प्रार्थी को 1.50 बीघा का प्रार्थना पत्र पेश करना था जबकि प्रार्थी ने 1.25 बीघा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अधिकार अभिलेख नही प्रस्तुत किया, जिससे यह माना जा सके कि गत् सेटलमेंट की कार्यवाही से पूर्व प्रार्थी जमाबंदी मे गैरखातेदार या खातेदार दर्ज हुआ हो एवं प्रार्थी द्वारा यह भी नही बताया कि जमाबंदी मे दर्ज प्रार्थी के नाम इन्द्राज की किस प्रकार और कैसे इन्द्राजात की लिपिकीय त्रुटी से वादग्रस्त आराजी सिवाय चक दर्ज हुई है।

उपयुक्त विवेचन मे न्यायालय की राय मे प्रार्थी द्वारा गत् सेटलमेंट के पूर्व प्रार्थी जमाबंदी मे दर्ज सुदा खातेदार दर्ज होना एवं किस इन्द्राज की लिपिकीय त्रुटी हुई है किसी प्रकार के राजस्व अभिलेख जमाबंदियो से साबित नही कराया है एवं हस्ब धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधि0 के तहत राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे इन्द्राज संबंधित अविवादित लिपिकीय त्रुटी को ही सुधारा जा सकता है। प्रार्थी ऐसी अविवादित इन्द्राज की लिपिकीय त्रुटी होना साबित नही करा पाया है धारा– 136 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः (2) राजस्व विविध मु0सं0– 02/2019 प्रार्थी – मांगीलाल बनाम अप्रार्थीगण – राज्य सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 न्यायालय, सहायक कलेक्टर, देसूरी.....

उपयुक्त विवेचन मे न्यायालय की सुविचारित राय मे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत आवृत नही होने से कानूनन स्वीकार योग्य नही है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आदेश आज दिनांक– 12/03/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested